

# न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्राथी, राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का रूणीजा

बनाम

अप्राथी:- जगाराम पुत्र श्री मालाराम निवासी गिंगोली

अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 20/19

निर्णय दिनांक :-09/09/2019

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रूणीजा ने अप्राथी के विरुद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्राथी द्वारा सवत् 2076 में सरहद गिंगोली के ख.न. 333 रकबा 0.03 है भूमि किरम गै.मु.नाला में बाड लगाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्राथी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्राथी का नोटिस भतीजी से तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है। अप्राथी उपरिथत हुआ जिसने जबाव प्रस्तुत किया जिसका अवलोकन किया जाकर शामिल पत्रावली किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्राथी उपरोक्तानुसार, पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार मौजा गिंगोली के ख.न 333 रकबा 0.03 हैक्टयर भूमि किरम गै.मु.नाला में अतिक्रमण किया है।

प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट अनुसार अप्राथी का मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है अप्राथी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्राथी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से वेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6 रूपये प्रति हैक्टयर से अतिक्रमित भूमि 0.03 है0 के 0.18 रूपये के लगान का 50 गुणा 9/- अक्षरे नौ रूपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्राथी को मौके से भोतिक रूप से वेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।



तहसीलदार परबतसर